संख्या-582/22-2-2014-17(134)2008

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: अगस्त, 2015

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामशंकर पुत्र श्री गंगा कहार निवासी जनपद-बाराबंकी का 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4735/पर-2(एम-05-02-2014) दिनांक 13-02-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामशंकर पुत्र श्री गंगा कहार, ग्राम-लाला का पुरवा, मजरा इंचौली, थाना-टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। दिनांक 14-5-1991 को बन्दी द्वारा पूर्व में पानी भरने तथा बकरियों द्वारा दाल खा लेने के विवाद को लेकर क्षणिक उत्तेजना में आकर बैजनाथ व प्यारे लाल पर लाठी आदि से वार किया, जिससे बैजनाथ तथा प्यारे लाल घायल हो गये। बैजनाथ की घटना स्थल पर तथा प्यारे लाल की बाद में जिला अस्पताल में मृत्यु हो गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-31/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 29-11-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपील नं0-5/1997 को निर्णीत कर आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 13-01-2014 तक 22 वर्ष 01 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं है, घटना को लेकर विपक्ष में अभी भी तनाव व भय व्याप्त है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने भी बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामशंकर पुत्र श्री गंगा कहार को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम शंकर (बन्दी संख्या-14265) पुत्र श्री गंगा कहार, ग्राम-लाला का पुरवा, मजरा इंचौली थाना-टिकैतनगर, जनपद-बाराबंकी की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-582(1)/22-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन ऊर्फ मुरगन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बंदियों की रिहाई से सम्बन्धित राज्यों की शक्तियों के प्रयोग किये जाने पर रोक लगा दी गयी थी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23-07-2015 द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 को कतिपय शर्तो के अधीन संशोधित कर दिया गया है। अतः गत पृष्ठ-48 पर प्राप्त उच्चादेश के अनुपालन में बन्दी रामशंकर पुत्र श्री गंगा कहार निवासी जनपद-बाराबंकी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने हेतु आलेख महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया पत्रावली पर विशेष सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहें।

http://shasanadesh.up.nic.in